कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांभर लेक (जयपुर)

क्रमांक / न.पा.सा. / 90–ए / 2025–26 / 924 दिनांक :– 24/07/2025–

1. श्रीमति कुसुमलता पत्नि श्री दुलीचन्द कुमावत
   निवासी– ईरोलाव, फुलेरा।
2. श्री गणेशराम चौधरी पुत्र श्री चंदाराम
   निवासी– ईरोलाव, फुलेरा।
3. श्री असलम पुत्र श्री लतीफ
   निवासी– छोटा बाजार, सांभर लेक।

विषय:– निजी खातेदारी की भूमि ग्राम लालपुरा तह. सांभर जयपुर पर योजना "**गणेश नगर**" का आवासीय अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम सांभर तह. फुलेरा जिला जयपुर के खसरा नंबर 2292, 2294 क्षेत्रफल 16691 वर्गमीटर भूमि में आवासीय योजना "**गणेश नगर**" का मानचित्र का तकनीकी रूप से अनुमोदन दिनांक 22.05.2025 को किया गया हैं, जिन भुखण्डों को निकाय में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे निकाय के पक्ष में रहन रखा गया हैं, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्त्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर तथा निकाय से रहन मुक्त कराने पर ही किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः आप योजना का रेरा में पंजीकरण करवाकर प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

छगन लाल यादव
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांभर लेक

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांभर लेक

कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांभर लेक (जयपुर)

sambharnagarpalika@gmail.com Ph. 01425228245

क्रमांक:–नपासा/भूमि शाखा/2025/ दिनाँक :–

–: ले–आउट प्लान कमेटी कार्यवाही विवरण :–

आज दिनांक 22/5/25 निकाय में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.8(म)नियम/2018/जयपुर दिनांक 18.07.2018 द्वारा प्रदत्त आदेश की पालना में ले–आउट प्लान कमेटी में निम्न प्रकरण के ले–आउट प्लान विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार ले–आउट प्लान कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति रही।

1. अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका सांभर लेक — अध्यक्ष
2. सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका सांभर लेक — सदस्य
3. वरिष्ठ प्रारूपकार — सदस्य
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांभर लेक — सदस्य सचिव

नगर पालिका सांभरलेक के राजस्व ग्राम लालपुरा स्थित खसरां नंबर 2292, 2294 कुल रकबा 16691 वर्ग मीटर (16691 वर्गमीटर) भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ 90ए/स्थल मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदक श्रीमति कुसुमलता कुमावत पत्नि श्री दूलीचन्द कुमावत, श्री गणेशराम चौधरी पुत्र श्री चंद्रा राम, श्री असलम पुत्र श्री लतीफ द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ योजना के एकल पट्टा हेतु प्रस्तुत मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही निम्न प्रकार हैं :–

ले–आउट प्लान के सम्बन्ध में :–

सर्वप्रथम ले–आउट कमेटी सदस्यों द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक श्रीमति कुसुमलता कुमावत पत्नि श्री दूलीचन्द कुमावत, श्री गणेशराम चौधरी पुत्र श्री चंद्रा राम, श्री असलम पुत्र श्री लतीफ द्वारा प्रस्तुत गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए खसरां नंबर 2292, 2294 क्षेत्रफल 16691 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा व आबंटन हेतु ऑनलाई आवेदन संख्या LSGCLU90A/2024-25/103833 दिनांक 06.02.2025 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम कार्यवाही रिपोर्ट में निकाय द्वारा 10 प्रतिशत प्रिमीयम राशी जमा कर लोक सूचना के निर्धारित प्रारूप संख्या नपासा/2025/1930 दिनांक 12.02.2025 की आवेदक स्तर पर राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु लोक सूचना जारी की गई हैं। लोक सूचना प्रकाशन राष्ट्रदूत समाचार पत्र में दिनांक 17.02.2025 को व समाचार जगत समाचार पत्र में दिनांक 15.02.2025 को प्रकाशन होने के पश्चात् आज दिनांक तक पत्रावली में किसी प्रकार का आक्षेप/आपत्ति प्राप्त नही हुई हैं। पत्रावली में तहसील कार्यालय से निर्धारित प्रारूप 06 में प्रश्नगत भूमि (स्थल) कि नवीनतम राजस्व अभिलेख अनुसार सहमति या अनुज्ञा प्रदान हेतु तहसील कार्यालय के नाम पालिका पत्र क्रमांक नपासा/2024–25/1929 दिनांक 12.02.2025 का पत्र प्रेषित हुआ हैं। पत्र के कम मे तहसील कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/216 दिनांक 11.03.2025 द्वारा निर्धारित प्रारूप 06 में आवेदित खसरों के संबंध में गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई हैं। तहसील कार्यालय की सहमति खंसरा नंबर 2292, 2294 रकबा 1.6691 हैक्टेयर में ही आवासीय के प्रयोजनार्थ की अनुज्ञा व आबंटन चाहने पर निकाय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा/आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2024-25/103833 दिनांक 21.05.2025 जारी किया गया हैं।

पत्रावली में तकनीकी अधिकारियों की सयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट व हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवेदित योजना लगभग 18 मीटर पहुँच मार्गाधिकार पर स्थित हैं। जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन रास्ता अंकित होना हल्का पटवारी द्वारा लिखित रूप से बताया गया हैं।

पत्रावली में संलग्न गुगल मैप और प्रस्तावित मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि मौके पर खाली हैं। आवेदित भूमि को खसरा नं. जो कि 2245 किस्म गै.मु. रास्ता से पहुँच उपलब्ध होती है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवासीय योजना के ले–आउट प्लान का तकनिकी परीक्षण किया गया प्रश्नगत भूमि सांभर नगरीय क्षेत्र मास्टर प्लान–2031 अनुसार परिधि नियत्रंण पट्टी में आरक्षित हैं। आवेदित भूमि में आवासीय योजना परिधि नियत्रंण श्रेणी अनुसार 60 फीट मार्गाधिकार सड़क पर स्थित हैं, तथा पटवारी द्वारा खसरां नं. एवं क्षेत्रफल का सत्यापन किया गया हैं। कार्यालय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 27.03.2025 के आदेश में स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित सक्षमता अनुसार ले–आउट समिति सदस्यों द्वारा सर्वसमत्ति से खसरा नंबर 2292, 2294 क्षेत्रफल 16691 वर्गमीटर का आवासीय योजना का मानचित्र का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

भू–उपयोग विश्लेषण :–

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गगज)	प्रतिशत	योजना में कुल प्रतिशत
1	आवासीय	11882.12	59.51	59.51
2	व्यवसायिक दुकाने एवं पार्किंग हेतु	00	00	00
3	पार्क	1036.65	5.20	5.20
4	सड़क	5650.90	28.30	28.30
5	टॉवर/एसडब्लूएम	286.38	1.44	1.44
6	सुविधा क्षेत्र	1108.47	5.55	5.55
कुल क्षेत्रफल		19964.52	100	100

भू–उपयोग विश्लेषण :–

उपरोक्त तालिका अनुसार मानचित्र में विक्रय योग्य क्षेत्रफल 11882.12 वर्गगज (59.51%) हैं, तथा (पार्क/सड़क/टॉवर/एसडब्लूएम) 6973.93(34.93%), सुविधा क्षेत्र 1108.47(5.55%) वर्गगज भूमि आरक्षित रखी गई हैं, जो कि टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

भूखण्डों की तालिका :–

क्र.सं.	भूखण्डों के प्रकार	भूखण्डों की संख्या	कुल भूखण्ड
1	आवासीय		
	आवासीय भूखण्ड	86	86
2	व्यवसायिक दुकानों हेतु	00	00
3	अन्य सुविधाऐं		
	पार्क/खेल मैदान/सुविधा क्षेत्र	02	02
	टॉवर/एसडब्लूएम	02	02

कुल भूखण्डों की संख्या	90	90

योजना में प्रस्तावित सड़कों की लम्बाई एवं चौडाई तथा पहुंच मार्ग राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(43)नविवि/3/2009 पार्ट दिनांक 12.08.2015 एवं प.3(43)नविवि/3/2009 पार्ट एवं दिनांक 08.02.2016 तथा टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार रखी जानी होगी। योजना में आन्तरिक सडकें 09 मीटर प्रस्तावित की गयी हैं।

प्रकरण में मानचित्र का अनुमोदन नीचे अंकित निम्न शर्तो के अध्यधीन रहेगा।

1. प्रकरण में प्रस्तावित भूखण्ड में सैटबैक, भवन निर्माण इत्यादि के मानदण्ड प्रचलित नियमों/भवन विनियमों आदि में संबंधित प्रावधानों के अनुरूप होगें। उक्त की सुनिश्चितता पट्टेंधारक द्वारा की जाने हेतु बाध्य रहेगा।
2. प्रकरण में योजना का उपयोग ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री के भण्डारण हेतु नही किया जावेगा।
3. राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी 2010 व प्रचलित भवन विनिमय नियम 2020 में प्रचलित आदेशों परिपत्रों में प्रदत्त सभी दिशा–निर्देशों की पालना आवेदक द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
4. योजना का क्षेत्रफल 02 हैक्टेयर से कम होने से मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की भूमि की लागत का शुल्क प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाना हैं।
5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 11(iv) के तहत विक्रय योग्य भुखण्डो मे सें 12.50 प्रतिशत भुखण्डों को संबंधित निकाय द्वारा योजना मे आंतरिक विकास कार्य यथा सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ति, सिवरेज व ड्रेनेज, वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित समय विकास कर्ता द्वारा किये जाने के एवज में रहन रखे जाने के संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र लिया जाना हैं।
6. योजना प्रस्तुत मानचित्र में इन्फॉर्मल दुकानों हेतु क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया हैं उक्त मानचित्र में दर्शाये अनुसार इन्फॉर्मल दुकान पर अधिकतम G+1 उचाई ही अनुज्ञा होगी एवं पार्किंग का प्रोविजन अनिवार्य होगा।
7. प्रस्तुत योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या ए–28, ए–29 को पहूँच मार्ग 30 फिट रोड से उपलब्ध हो रहा हैं जो कि खसरा संख्या 2293 मे से प्रस्तावित हैं उक्त खसरे की किस्म गैर मुमकिन झेरा होने के कारण खसरे की 90–क की कार्यवाही निर्बधित हैं। अतः ए–28, ए–29 के क्षेत्रफल को भूखण्ड संख्या ए–35, ए–34 के क्षेत्रफल में समायोजित किया जायेगा।

8. आवेदकों द्वारा योजना का RERA में पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी सुनिश्चितता के आशय से आवेदक स्तर से शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।

9. प्रकरण में आवेदित भूमि मे से अथवा समीप से विद्युत लाईन/भूमिगत पाईप लाईन/गैस पाईप लाईन इत्यादि गुजर रही हैं तो उपरोक्त हेतु आवश्यक न्यूनतम सुरक्षात्मक दूरी रखा जाना आवश्यक हैं। जिसकी सुनिश्चितता के आशय से आवेदक स्तर से शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।

10. प्रकरण में कार्यालय की तकनीकी राय के अतिरिक्त अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो समय–समय पर उक्त प्रमाण–पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होगा।

अतः प्रकरण में अनुमोदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा हैं अगर कोई सारवान तथ्य सही रूप से प्रस्तुत नही किया गया हैं अथवा छुपाया जाना पाया जाता हैं तो इस कार्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावें।

(बालकिशन जागिड़)
अध्यक्ष
नगर पालिका सांभरलेक

(छगन लाल यादव)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांभरलेक

(हरीश बंशिया)
सहायक अभियंता
नगर पालिका सांभरलेक

(सौम्या एम वर्मा)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर पालिका सांभरलेक

(दिनेश कावंत)
कनिष्ठ अभियंता
नगर पालिका सांभरलेक

कार्यालय नगर पालिका मण्डल सांभर लेक (जयपुर)

क्रमांक / न.पा.सां. / 90–क / 2025–26 / 2081 दिनांक – 03/12/25

श्रीमति कुसुमलता कुमावत पत्नि श्री दूलीचन्द कुमावत
श्री गणेश राम चौधरी पुत्र श्री चंदाराम, की अदालत पुत्र लालीक
निवासी– ईटावा, फुलेरा।

विषय:– **रहन रखे गए भुखण्डों के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरपालिका सांभर लेक द्वारा राजस्व लालपुरा, तहसील फुलेरा मु0–सांभर जिला जयपुर, राजस्थान के खसरा नंबर 2292, 2294 रकबा 1.6691 है, भूमि का योजना गणेश नगर का आवासीय प्रयोजनार्थ का 90–क आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2025-26/103833 दिनांक 21.05.2025 को जारी किया गया, जिसका ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

योजना गणेश नगर में आपके द्वारा 12.5 प्रतिशत भूमि नगरपालिका केद पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है, जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड सं बी–19, से बी–30 व बी–10 कुल भूखण्ड 13 को रहन रखा जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक

Signature valid
Digitally signed by Chiragan Lal Yadav
Designation: Executive Officer
Date: 2025.12.03 17:05:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 19188617
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 27 MAR 2025

आदेश

विषयः— भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उपविभाजन तथा ले—आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2025—26 की की अनुपालना में भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन/उप विभाजन तथा ले—आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों में सरलीकरण की दृष्टि से शक्तिया स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा आदेश/अधिसूचना जारी की गई है।

इन प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर भी कार्य संचालन सुगमता से किये जाने तथा आवश्यकता होने पर प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः—

क्र.सं.	कार्य	तकनीकी परीक्षण हेतु सक्षमता	निस्तारण/स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षमता	अंतिम स्वीकृति/निर्णय
1	भवन मानचित्र अनुमोदन			
1.1	500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	नगर नियोजन सहायक/ वरिष्ठ प्रारूपकार	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.2	2500 वर्गमीटर तक (15 मीटर ऊंचाई तक)	सहायक नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.3	2500 वर्गमीटर तक (समस्त अनुमत ऊँचाई के)	उप नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.4	समस्त क्षेत्र फल एवं समस्त ऊंचाई	वरिष्ठ नगर नियोजक	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति	नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
1.5	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 60 मी. (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में 40 मी (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 मी. (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक के प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
2	कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट			
2.1	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/ नगर नियोजक सहायक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	प्राधिकारी अधिकारी

2.2	2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई तक के प्रकरण	सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.3	30 मीटर ऊँचाई तक के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
2.4	30 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति
3	**ले–आउट प्लान अनुमोदन/एकल पट्टा हेतु योजना अनुमोदन/उपविभाजन व पुर्नगठन अनुमोदन**			
3.1	2.0 हैक्टयर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	वरिष्ठ प्रारूपकार/ नगर नियोजक सहायक/सहायक नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.2	2.0–5.0 हैक्टयर क्षेत्रफल तक के प्रकरण	उप नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.3	5.0 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण	वरिष्ठ नगर नियोजक	नगरीय निकाय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी	ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति
3.4	विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 25000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 2500 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।			
3.5	औद्योगिक भू–उपयोग हेतु एकल पट्टा प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के अनुसार 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ले–आउट प्लान समिति से अनुमोदन उपरान्त पट्टा जारी किया जा सकता है तथा 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अंतिम स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार गठित समिति से प्राप्त की जानी होगी।			

सामान्य निर्देश :–

1. उपरोक्त सेवाओं हेतु आवश्यक रूप से ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जावे।
2. उपरोक्तनुसार निर्धारित तकनीकी सक्षमता के अनुरूप नगरीय निकाय में तकनीकी अधिकारी नियुक्त नही होने पर उक्त सक्षमता के अनुसार संबंधित जिला नगर नियोजक अथवा संभाग स्तरीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से तकनीकी राय/ अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।
3. इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। प्रकरणो के परीक्षण उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु निकाय स्तरीय सक्षम समिति को इस चैक लिस्ट में सूचना भरकर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम समिति के समक्ष आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

4. राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशिष्ठ 'ब' पर संलग्न है। नगरीय निकाय द्वारा इस चैक लिस्ट में आवश्यक सूचना भरकर तथा संलग्नकों के साथ ही प्रस्ताव निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित भवन विनियमों में एम्पैनेल्ड आर्किटेक्ट को भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट हेतु प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुरूप भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन/ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। नगरीय निकाय द्वारा उनके क्षेत्र में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई स्वीकृतिया व जमा राशिया का विवरण ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

27/3/25

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल, राजस्थान
10. रक्षित पत्रावली।

27/3/25

शासन उप सचिव–प्रथम

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभरलेक जिला (जयपुर)

क्रमांक / न.पा.सा. / 2025–26 / 2266 दिनांक :– 19/12/2025

–: कार्यालय आदेश :–

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 एवं आदेश क्रमांक 2014 पार्ट दिनांक 27.03.2025 के बिन्दू संख्या 3.1 के अनुसार ले–आउट अनुमोदन हेतु नगर निकाय के प्राधिकृत अधिकारी को एवं निर्णय हेतु ले–आउट प्लान समिति को अधिकृत किया हैं। तदानुसार नगर पालिका सांभर लेक के क्षेत्राधिकार में ले–आउट अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांभर लेक होगें।

1. अध्यक्ष, नगर पालिका सांभर लेक	अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांभर लेक	सदस्य सचिव एवं प्राधिकृत अधिकारी
3. सहायक अभियंता, नगर पालिका सांभर लेक	सदस्य
4. वरिष्ठ प्रारूपकार	सदस्य

(छगन लाल यादव)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांभर लेक
दिनांक :– 19/12/2025

क्रमांक / न.पा.सा. / 2025–26 / 2267-2270

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका सांभर लेक।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सांभर लेक।
3. सहायक अभियंता, नगर पालिका सांभर लेक।
4. वरिष्ठ प्रारूपकार, नगर पालिका सांभर लेक।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सांभर लेक

Signature valid
Digitally signed by Chhagan Lal Yadav
Designation : Executive Officer
Date: 2025.12.19 16:28:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19497144
eSign 1.0

Approved Layout Plan

THE PROPOSE PLAN OF "GANESH NAGAR" WHICH IS SITUATED AT, KH. NO. 2292 & 2294, VILLAGE LALPURA, NAGAR PALIKA SAMBHAR LAKE, TEHSIL PHULERA, DIST. JAIPUR (RAJ.)

प्रकरण में मुख्य बिन्दु

1. उक्त योजना "गणेश नगर" में GOA कार्यवाही में आदेश क्रमांक LSG(CLU)GOA/24-25/103833 दिनांक 21/5/25 द्वारा की गई है
2. मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवंटित उपयोग में कुछ भी उपयोग परिवर्तित नियमानुसार पाई हुई आवश्यक है जिसके आवश्यक योजना अनुमोदन अनुरूप है
3. योजना मानचित्र एवं नगरीय पालिका 2010 के अनुसार बनाई गई है
4. उक्त ले आउट प्लान ले आउट कमेटी की बैठक दिनांक 22/5/25 को रखी की अनुमोदित किया गया है

KH. NO. 2332
KH. NO. 2295
KH. NO. 2300
KH. NO. 2303
KH. NO. 2291
KH. NO. 2289
KH. NO. 2246
KH. NO. 2244
KH. NO. 2241/1
KH. NO. 3218/2243
KH. NO. 2242
KH. NO. 3219/2243
KH. NO. 2245

60' WIDE ROAD
30' WIDE ROAD
KH. NO. 3168/2294
KH. NO. 2293
KH. NO. 2294 30' WIDE ROAD
KH. NO. 2292 30' WIDE ROAD
BLOCK-A
BLOCK-B
FACILITY 1108.47 SQ. YARD
PARK 1036.65 SQ. YARD
TOWER & S.W.M
APP. COLONY BALAJI VATIKA

नगर पालिका मण्डल सांभर लेक अनुमोदन दिनांक

OFFICE NOTE :-

Excluding Khasara No. 2293

प्लॉट न॰ A-28 का प्लॉट न॰ A-35 में व प्लॉट न॰ A-29 का प्लॉट न॰ A-34 में समायोजन किया गया है।

N
W E
S

KEY PLAN

CORDINET GOOGLE:-
26.8963755, 75.1792405

AREA- LEGAND:-

PARTICLARS	AREA	%
PLOT AREA	11882.12	59.51
FACILITY AREA	1108.47	5.55
PARK AREA	1036.65	5.20
TOWER & S.W.M AREA	286.38	1.44
ROAD AREA	5650.90	28.30
TOTAL AREA	19964.52	100
TOTAL AREA HECTOR	1.6691	100

नोट:- लेआउट प्लान में मुताबिक राजस्व नम्बरो के खसरा नम्बरो की बाहरी सीमा ABCDEFGH IJKLE की सीमाओं का ज्यामितीकरण किया गया।

बालकिशन जांगिड
अध्यक्ष
न. पा. मण्डल, साँभर लेक

सौम्या एम वर्मा
वरिष्ठ प्रशासनिक
न.पा.मण्डल, साँभर लेक

दिनेश कांवत
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका मण्डल, साँभर लेक

छगन लाल थादल
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका साँभर लेक

2/04/2025
पटवारी
पटवार मण्डल
तह. फुलेरा जिला जयपुर

LEGEND:- B.T ROAD, BUILDING, SHOP, PARK, TRANSFORMER, HAND PUMP, PARK, FENCING, DRAIN NALLAHA, TREE, K.M STONE, TEMPLE, GATE, ROAD LITE POLE, WATER TANK, C.C ROAD, H.T POLE, CENTER LINE, AREA BOUNDARY, WELL, GAS LINE, BENCHMARK, RLY TRACK, PROPOSED ROAD, CULVERT, T.WELL, O.F.C STONE, DOLA

DOMESTIC LINE
11 K.V. LINE
33 K.V. LINE
H.T. LINE
SINGNLE POLE

SCALE:-

CLIENT:-

NOTE :-
ALL DIMENSIONS AREE IN FEET

SURVEYOR:-
SHRI BALAJI ER. SERVICES
PHULERA - DINESH MOB. 8104894861

TITLE:
Total Station Survey Of Existing Land AT KH. NO. 2292, 2294, LALPURA, SHYAMI KI DHANI, SAMBHAR LAKE ,JAIPUR (Rajasthan)

DRAWING NO.:
date